क्या आज भी गांवों में सामाजिक बहिष्कार जैसी प्रथाएं जारी हैं?

Society & Social Justice
26 Apr 2027

खरगोन मंदिर विवाद : भेदभाव , बहिष्कार और कानून की पूरी
तस्वीर

घटना की पूरी जानकारी
खरगोन जिले के गोगावां थाना क्षेत्र के पाडल्या गवली गांव में एक दलित दूल्हे और उसके परिवार के साथ हुई घटना ने सामाजिक व्यवस्था
पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शादी के बाद नवविवाहित दंपति
स्थानीय हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे , लेकिन आरोप है कि मंदिर समिति ने गेट बंद कर उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और बाहर से ही पूजा करने को कहा।
दंपति ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची
और मंदिर खुलवाकर उन्हें दर्शन करने की अनुमति दिलाई। हालांकि , इसके बाद मामला और बढ़ गया। गांव में पंचायत बुलाई गई और दूल्हे के परिवार के चार घरों का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। इसके तहत उनके “हुक्का -पानी ” बंद कर दिए गए, गांव की दुकानों से राशन और जरूरी सामान देना बंद कर दिया गया और उन्हें सामाजिक
गतिविधियों से अलग कर दिया गया।

सामाजिक बहिष्कार : एक पुरानी समस्या
ग्रामीण भारत में “सामाजिक बहिष्कार ” या “हुक्का -पानी बंद करना ” कोई नई बात नहीं है। यह एक पुरानी प्रथा है, जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति या परिवार को समाज से अलग करने और उन पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है।
इस प्रथा के तहत:

लोगों को जरूरी सेवाओं से वंचित किया जाता है
सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों से दूर रखा जाता है
मानसिक और आर्थिक दबाव बनाया जाता है

ऐसी घटनाएं अक्सर जाति, परंपरा या सामाजिक मतभेदों के कारण सामने
आती हैं। यह न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि समाज में
असमानता को भी बढ़ावा देती है।

कानून क्या कहता है?
भारत में इस तरह का भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार पूरी तरह अवैध है।
संविधान और कई कानून इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बनाए गए हैं:
संविधान के अधिकार

अनुच्छेद 14: सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है
अनुच्छेद 15: धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को
प्रतिबंधित करता है
अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता (Untouchability) को समाप्त करता है और इसे
अपराध घोषित करता है

SC/ST अत्याचार निवारण कानून
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम , 1989
के तहत:

किसी दलित को मंदिर में प्रवेश से रोकना अपराध है
सामाजिक बहिष्कार करना दंडनीय है
आवश्यक सेवाओं से वंचित करना भी अपराध की श्रेणी में आता है
इस कानून के तहत दोषियों को सख्त सजा और जुर्माना दोनों हो सकते
हैं।

मंदिर समिति का पक्ष
मंदिर समिति और कुछ ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर बंद होने के समय
के कारण गेट बंद किए गए थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि दंपति
चप्पल पहनकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और स्थानीय परंपराओं के
अनुसार हनुमान प्रतिमा के पास महिलाओं का प्रवेश वर्जित है।

www.becomeias.com YouTube: becomIAS | Instagram: howtobecomeias